

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

अज्ञात

पतापनारायण

प्रकरण संख्या 2022/348

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/7/25	पत्रावली पेशा करीब पत्रकार 20/7/25। साक्ष्यवादी धारित नहीं। साक्ष्यवादी हेतु अंतिम प्रस्ताव दिया जाकर दिनांक 22/09/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
	22/7/25	पत्रावली पेशा की। P.O. का कार्यालय में लखत करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/7/25 को पेश हो।
	28/7/25	पत्रावली पेशा करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/7/25 को पेश हो।
	12/8/25	पत्रावली पेशा करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 20/8/25 को पेश हो।
	20/8/25	पत्रावली हुई। वकील पत्रकार उप-वकील वाकी द्वारा आईन्दा तारीख पेशी प्रकरण में राजीनामा पेश करके हेतु कदा। पत्रावली करते साक्ष्यवादी हेतु अंतिम प्रस्ताव दिया जाकर दिनांक 08/09/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
	08/9/25	पत्रावली पेश। वकील पत्रकार अनुपास्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्त तक बार-बार यावाज दिलाई गई। कोर्ट समाप्त तक कोई हाजिरी

21/09/25  
अज्ञात  
पतापनारायण  
16/7/25

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

अज्ञात

पतापनारायण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अदालत नहीं आयी। अतः वकील पत्रकाराने की अनुपास्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम चैरकी में खारिज किया जात है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08/09/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	